न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा (राज.)

प्रशासन गावों के संग 2021 अभियान शिविर मुकाम कोठिया तहसील फुलियाकलां

: : मूल वाद मे अन्तिम डिक्री : :

{आदेश 20 नियम 6, 7 जा0दी0}

पीठासीन अधिकारी – श्री राजकेश मीना
(आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 09/2019

उनवान

1 गोविन्द राम पिता शंकरलाल गुरू उम्र–वयस्क निवासी कोठिया तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाडा .... वादी

बनाम

1 रामदयाल पिता बल्देव माली उम्र–वयस्क निवासी कोठिया तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाडा
2 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा (राज.)
3 ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत कोठिया तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाडा
4 छोटू पिता शंकरलाल गुरू उम्र–वयस्क निवासी कोठिया तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाडा ..... प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :::–

श्री सुनिल कुमार शर्मा–––वादी अधिवक्ता
राज्य पक्ष तहसीलदार फुलियाकलां

दिनांक– 09.11.2021

वाद–पत्र बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस प्रकार स्वीकार किया जाता है कि–वाके ग्राम कोठिया पटवार हल्का कोठिया भु.अ.निरीक्षक अरवड तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा स्थित विकास पंचायत कोठिया आबादी के पक्ष में दर्ज खतौनी संख्या 1198 के आराजी संख्या 2343 रकबा 0.0010 हैक्टे. भूमि किस्म गै.मु.आचा के राजस्व अभिलेखों में वादी व प्रतिवादी संख्या 04 का हक आधिपत्य निर्धारित कर, सहखातेदार काश्तकार घोषित करते हुए, उसी अनुसार राजस्व रेकार्ड में अंकन कर, दुरूस्तिकरण किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाकर इस आशय की अन्तिम डिकी पारित की जाती है। इसके साथ ही वादी के उपयोग उपभोग में प्रतिवादीगण किसी प्रकार की बाधा अथवा रूकावट उत्पन्न नही करें। इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा से विपक्षीगणों को पांवद किया जाता है। तहसीलदार फुलियाकलां तदनुसार राजस्व अभिलेखों में अमल दरामद करें। खर्चा फरिकेन अपना–अपना वहन करे।

आज यह डिक्री दिनांक 09.11.2021 को प्रशासन गावों के संग 2021 अभियान शिविर मुकाम कोठिया में मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी गयी।

(राजकेश मीना)
उपखण्ड अधिकारी, फुलियाकला
जिला भीलवाड़ा

उप खण्ड अधिकारी
फुलिया कलां (भी.वा.)